

राजस्थान सरकार  
कार्यालय राजस्व अपील पाधिकारी बाड़मेर (जलजमान)

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाबता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Applexdix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर, चौहटन मुकाम चौहटन  
व इजलास श्री सूरजभात विश्नोई, आर.ए.एस.

अनवान :-

वादी - 1.दूदाराम पुत्र मोटाराम, जाति जाट  
निवासी जाटों की बस्ती, तहसील चौहटन  
जिला बाड़मेर।


बनाम

प्रतिवादीगण - 1.पूनमाराम 2.सताराम 3.हीराराम 4.केशाराम पि भूराराम  
5.रामूराम 6.जोराराम पि.भीयाराम, जाति जाट  
निवासी जाटों की बस्ती, तहसील चौहटन  
7.तहसीलदार एवं उपपजीयक चौहटन  
8.शाखा प्रबन्धक एसबीआई चौहटन

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act.  
मुकदमा नं. 119/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. न्यायालय बहाजरी श्री जगदीश  
पोटलिया एड. मिनजानिब मुदाई व श्री शाकर खान एच. एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश  
होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा  
मौजा जाटों की बस्ती, पटवार क्षेत्र आंटिया, तहसील चौहटन में खसरा सं. 10 रकबा 15.04  
बीघा, खसरा सं. 61 रकबा 00.09 बीघा, खसरा सं. 198/62 रकबा 385.08 बीघा, खसरा सं.  
211/133 रकबा 35.05 बीघा, खसरा सं. 221/62 रकबा 00.10 बीघा, कुल रकबा 436.16  
बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित खसरों की भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों  
के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते हैं। लगातार शेष पृष्ठ  
पर..... बीज ..... मबलिंग ..... बाबत .....  
पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज ही तारीख से  
तारीख व सूलप्रार्थी तक ..... को अदा करे।

वसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.01.2024 को जारी की गई।

 <p>राजस्थान सरकार सहायक कलक्टर चौहटन</p>	रूपया	दि	मुदायलाह स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प डजी महानताना वकील पर खचा गवाहान फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मूतफरिक	दस्तखत ओहदा रूप सहायक कलक्टर चौहटन
				मीजान

नाट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

क्र.स.	खातेदार का नाम मय वल्लियत सकुनत	ग्राम	खसरा न	रकबा (बीघा में)	किरम	लगान	बरग
1	दूदा पुत्र मोटा, कौम जाट	जाटों की बस्ती	211 / 133 10 198 / 62 198 / 62 198 / 62	11 12 15 04 63 03 30 05 24 00	बा दो बा दो बा सो बा सो बा सो	00 70 00 91 03 18 01 51 01 20	आसमानी
		योग	5	144.04	—	07 50	आसमानी
2	पूनमा, सता, हीरा, केशा पि भूरा 1/2, रामूराम, जोराराम पि भीयाराम 1/2 कौम जाट	जाटों की बस्ती	61 221 / 62 211 / 133 198 / 62 198 / 62 198 / 62	000 09 000 10 023 03 127 07 080 00 061 00	गैमु गैमु बा दो बा सो बा सो बा सो	— — 01 39 06 37 04 00 03 05	हरा
		योग	6	288.09	—	14 81	हरा
3	दूदा पुत्र मोटा, पूनमा, सता, हीरा, केशा पि भूरा, रामूराम, जोराराम पि भीयाराम, कौम जाट (शामलाती रास्ते हेतु)	जाटों की बस्ती	198 / 62 211 / 133	03 13 00 10	बा सो बा दो	00 22 00 03	लाल
		योग	2	04.03	—	00 25	लाल

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।



(सूरजभान विशनोई)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) चौहटन

राजस्थान सरकार  
कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर (राजस्थान)

**न्यायालय सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर**

राजस्व वाद सं. 119/2013

पीठारसीन अधिकारी – श्री सूरजभान विश्‍नोई, आर.ए.एस

अनवान

वादी – 1.दूदाराम पुत्र मोटाराम, जाति जाट  
निवासी जाटों की बस्ती, तहसील चौहटन  
जिला बाड़मेर।

**बनाम**

प्रतिवादीगण – 1.पूनमाराम 2.सताराम 3.हीराराम 4.केशाराम पि.भूराराम  
5.रामूराम 6.जोराराम पि.भीयाराम, जाति जाट  
निवासी जाटों की बस्ती, तहसील चौहटन  
7.तहसीलदार एवं उपपंजीयक चौहटन  
8.शाखा प्रबन्धक एसबीआई चौहटन

अधिवक्तागण –

वादी वकील –

श्री जगदीश पोटलिया

प्रतिवादीगण वकील –

श्री शाकर खान एच.

**निर्णय**

**वाद अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act.**

दिनांक :- 11.01.2024

उपरोक्त वाद में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.02.2022 के विरुद्ध अपील न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर में पेश की गई। न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.02.2022 को अपास्त करते हुए उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाते हुए नियमानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये। जिसकी पालना में तहसीलदार चौहटन से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार चौहटन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार चौहटन द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

सहायक क्लर्क  
(800) चौहटन

उपरिथत अधिवक्ताओ ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव उन्हें स्वीकार है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय करते हुए डिक्री जारी की जावे।

अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया जिसके जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार चौहटन से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार मौजा जाटों की बस्ती, पटवार क्षेत्र आंटिया, तहसील चौहटन में खसरा सं. 10 रकबा 15.04 बीघा, खसरा सं. 61 रकबा 00.09 बीघा, खसरा सं. 198/62 रकबा 385.08 बीघा, खसरा सं. 211/133 रकबा 35.05 बीघा, खसरा सं. 221/62 रकबा 00.10 बीघा, कुल रकबा 436.16 बीघा के आये हुए है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

क्र स	खातेदार का नाम मय वल्लिद्यत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (बीघा में)	किरम	लगान	बरग
1	दूदा पुत्र मोटा, कौम जाट	जाटों की बस्ती	211/133 10 198/62 198/62 198/62	11.12 15.04 63.03 30.05 24.00	बा दो बा दो बा सो बा सो बा सो	00 70 00 91 03 18 01 51 01 20	आसमानी
		योग	5	144.04	—	07.50	आसमानी
2	पूनमा, सता, हीरा, केशा पि भूरा 1/2, रामूराम, जोराराम पि भीयाराम 1/2 कौम जाट	जाटों की बस्ती	61 221/62 211/133 198/62 198/62 198/62	000 09 000 10 023 03 127 07 080 00 061 00	गैमु गैमु बा दो बा सो बा सो बा सो	— — 01 39 06 37 04 00 03 05	हरा
		योग	6	288.09	—	14.81	हरा
3	दूदा पुत्र मोटा, पूनमा, सता, हीरा, केशा पिभूरा, रामूराम, जोराराम पि भीयाराम, कौम जाट (शामलाती रास्ते हेतु)	जाटों की बस्ती	198/62 211/133	03 13 00 10	बा सो बा दो	00 22 00 03	लाल
		योग	2	04.03	—	00.25	लाल



सहायक कलेक्टर  
(SDO) चौहटन

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन का लिखा जावे। मीका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सूरजभान विशनोई)  
सहायक कलक्टर  
एव उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
(SDO) चौहटन